# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

## राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 41/2018 प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1—भैरूलाल पिता गोकल कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

**प्रार्थी**

**बनाम**

1—केला पिता लखमा कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—गोपी पिता छोगा कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—बदामी पत्नी दीपा कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—रामी पत्नी मोहनलाल कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—भंवरी पत्नी मथरालाल कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—डालू पिता मीयाराम कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—भैरू पिता मीयाराम कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—लादु पिता मीयाराम कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—प्यारा पिता मेघा कुमावत निवासी धुलखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

## निर्णय

दिनांक 23.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट बागोलिया मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम बाडी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 2253/1351 रकबा 0.0543 है0 व आराजी संख्या 2252/1318 रकबा 0.0387 है0 भूमि जो खाता संख्या 33 व 34 पर दर्ज रेकार्ड है प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होन की वजह से पक्षकारान के दरमीयान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थी को घास आदि काटने में, फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षी को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 30/04/2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षीगण प्रार्थी की आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा –राजस्थान
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018
मुकदमा नम्बरः– 41/2018 प्रार्थनापत्र
भैरू लाल बनाम केला वगै0

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या दो से नौ बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या एक के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः

## आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम बाडी पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 2253/1351 रकबा 0.0543 है0 व आराजी संख्या 2252/1318 रकबा 0.0387 है0 भूमि जो खाता संख्या 33 व 34 पर दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशाामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी भुाल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिशनर फीस 100/– अक्षरे एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित भुामार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा